रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240201 CG-DL-E-11112022-240201

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5023] No. 5023] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

> रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5242(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2343(अ), तारीख 18 मई, 2022 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 20 मई, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, तारीख 16 जून, 2022 'द टाईम्स ऑफ इण्डिया'', और ''दैनिक पुण्यनगरी'', तारीख 16 जून, 2022 में प्रकाशित किया गया :

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

7480 GI/2022 (1)

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रुप से निहित हो जाएगी।

# अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नामः पालघर

क्रम	तालुका	ग्राम का	सर्वेक्षण /	भूमि का	भूमि की	क्षेत्रफल	भू-स्वामो/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
संख्या		नाम	हिस्सा संख्या	प्रकार	प्रकृति	हेक्टर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वसई	भाटपाडा	56 भाग	निजी	खेती	0.2260	56फ पदमी नाना भादाले
							विष्णू नाना भादाले
							कमला नवष्या भादाले
							विदया संतोष पाडवी
							दिलीप नवष्या भादाले
							सचिन नवष्या भादाले
							माणकू नानु हावरा
							बेबी प्रभाकर लहांगे
							यषोदा जन्या भावर
							राघु विदु भादाले
							नरेश षिनवार गवते
							कुंता मधु लहांगे
							जयंती किसन महांगुले
							गुलाब जगन दोडके
							निर्मला परषा पिलाणे
							सोमा महादया गवते
							लिला मनोहर पारधी
							रमाकात रामा भादले
							शकुंतला भालचंद्र चिपाट
							सुमन गोटु भादाले
							मंजूळा जयवंत चिपाट
							वंदना विनोद कान्हात
							चंदा विनोद खुताडे
							कमला रमेष बरफ
							कल्पना ्नितीन गोवारी
							बाळा गोटू भादाले
							भीमा हरिष्वंद्र भादाल्
							गणेष हरिष्वंद्र भादाले
							नितेष हरिष्यंद्र भादाले
							शारदा हरिष्वंद्र भादाले
							बेबी हरिष्चंद्र भादाले
							सुरेश जिवन भादाले
							जयवंती किसन् परेड
							शानू वसंत काटेला
							हरकु जिवन भादाले
							संतोष त्रिंबक सापटे

[फा. सं. 2022 / एलएमएल—II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2355] पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

# MINISTRY OF RAILWAYS

## (RAILWAY BOARD)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

**S.O. 5242(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2343 (E), dated the 18<sup>th</sup> May, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20<sup>th</sup> May, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, "The Times of India", dated the 16<sup>th</sup> June, 2022 and "Dainik Punyanagari", dated the 16<sup>th</sup> June, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

### Name of the District: Palghar

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey / Hissa Number	Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of the land Owners / Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Vasai	Bhatpada	56 part	Private	Agriculture	0.2260	56F Padmi Nana Bhadale Vishnu Nana Bhadale Kamla Navshya Bhadale Vidya Santosh Padvi Dilip Navshya Bhadale Sachin Navshya Bhadale Manku Nanu Havra Bebi Prabhakar Lahange Yashoda Janya Bhavar Raghu Vithu Bhadale Naresh Shinvar Gavte Kunta Madhu Lahange Jayanti Kisan Mhangule Gulab Jagan Dodke Nirmala Parsha Pilane Soma Mahadya Gavte Lila Manohar Pardhi Ramakant Rama Bhadale Shakuntala Bhalchandra Chipat Suman Gotu Bhadale Manjula Jayvant Chipat Vandana Vinod Kanhat Chanda Vinod Khutade Kamla Ramesh Baraf

4	THE GAZETTE (	F INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(ii)]
		Bala Got Bhima H Ganesh H Nitesh H Sharada Bebi Har Suresh Ji Jayvanti Shanu Va	Nitin Gowari u Bhadale arishchandra Bhadale Harishchandra Bhadale Harishchandra Bhadale Harishchandra Bhadale ishchandra Bhadale ishchandra Bhadale ishchandra Bhadale van Bhadale Kisan Pared asant Katela van Bhadale Tribank Sapte.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2355]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)